

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001  
संख्या- 700 / XXV-12(10) / 2018 देहरादून : दिनांक 03 अप्रैल, 2021  
सेवा में,

श्री सुभाष परमार, एडवोकेट,  
चेम्बर नं0-44, सिविल कोर्ट,  
कम्पाउण्ड, देहरादून।  
(मो0 नं0-9634033171)

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने विषयक  
महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1354 दिनांक 24 मार्च 2021 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 25-03-2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू0 34.00(रू0 चौतीस) अतिरिक्त शुल्क देय होता है।  
अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
बिन्दु संख्या-1 एवं 2	17	2.00	34.00

उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

अन्य बिन्दुओं पर सूचना का विवरण निम्न प्रकार है-

बिन्दु संख्या-3	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत समस्त लो0सू0अ0/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी को अनुरोध पत्र हस्तारित।
-----------------	--

भवदीय,

*B.S. Rawat*

(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/  
लोक सूचना अधिकारी।

पू0संख्या 700 / XXV-12(10) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लो0सू0अ0, /सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी को उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर:- य को परि

*B.S. Rawat*

(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।

o/c

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001  
संख्या- /XXV-12(10) /2018 देहरादून : दिनांक 03 अप्रैल, 2021

सेवा में,

श्री सुभाष परमार, एडवोकेट,  
चेम्बर नं0-44, सिविल कोर्ट,  
कम्पाउण्ड, देहरादून।  
(मो0 नं0-9634033171)

विषय-  
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने विषयक

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1354 दिनांक 24 मार्च 2021 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 25-03-2021 को प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू0 34.00(रू0 चौतीस) अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
बिन्दु संख्या-1 एवं 2	17	2.00	34.00

उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि के अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

अन्य बिन्दुओं पर सूचना का विवरण निम्न प्रकार है-

बिन्दु संख्या-3	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत समस्त लो0सू0अ0/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी को अनुरोध पत्र हस्तांतरित।
-----------------	--

भवदीय,

(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी/  
लोक सूचना अधिकारी।

पू0संख्या 700 /XXV-12(10) /2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लो0सू0अ0/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी को उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सन्तानक:- यक्षोपति

B.S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।



Received  
25/3/2021

## राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या- 1354/रा0नि0आ0-1/2987/2021

दिनांक 24 मार्च, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।


महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुभाष परमार (एडवोकेट) चैम्बर नं0-44, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून का सूचना अनुरोध-पत्र दिनांक 23.03.2021 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 24.03.2021 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता द्वारा रू0 10.00 का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया गया है।

चूंकि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित है, अतएव सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध-पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
24.03.21

(प्रभात कुमार सिंह)

उपायुक्त /

लोक सूचना अधिकारी।

मो0 7534820739

संख्या- /रा0नि0आ0-1/2987/2021 तददिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री सुभाष परमार (एडवोकेट) चैम्बर नं0-44, सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून को सूचनार्थ।

(प्रभात कुमार सिंह)

उपायुक्त /

लोक सूचना अधिकारी।

295  
24/03/21

# Subash Parmar

Advocate

Chamber No. 44, Civil Court  
Compound, Dehradun  
(M) 9634033171

23-3-2021  
Dated : 23-03-2021

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी  
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड  
रिंग रोड लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड ।

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना

महोदय,

प्रार्थी को निम्न सूचनाएं प्रदान करने करने की कृपा करे -

- 1- जिला उत्तरकाशी पुरोला विधान सभा की विधायक सीट कब से अनूसूचित जाति के लिये आरक्षित है और कब तक आरक्षित रहेगी इससे सम्बंधित शासनादेश की प्रति देने की कृपा करें ।
- 2- विधान सभा में विधायक की सीट को आरक्षित होने के लिये क्या -क्या मानक है मय दस्तावेज बताने की कृपा करें ।
- 3- वर्तमान में जिला उत्तरकाशी की तीन विधान सभा गंगोत्री ,यमनोत्री व पुरोला विधान सभा में अनूसूचित जाति की संख्या मय दस्तावेज देने की कृपा करें ।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दस रूपये का पोस्टल आर्डर शुल्क सूचना शुल्क व दस रूपये का पोस्टल आर्डर दस्तावेज शुल्क के रूप में अदा किया जा रहा है। कृपया सूचना शीघ्र भिजवाने का कष्ट करे।

अनु-1

पोस्टल आर्डर - 54F549685

24/3/21  
प्रभात कुमार सिंह  
राज्य निर्वाचन आयोग  
उत्तराखण्ड, देहरादून

Recd on 13-10/2/18  
24/3/21

प्रार्थी  
Subash Parmar  
सुभाष परमार  
(एडवोकेट)